न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : — श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :— 21/2019 दायर तारीख 25.01.2019

अनवान

01 राधेश्याम पिता मोतीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)।

............प्रार्थी

बनाम

01. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

.... विपक्षी

उपस्थित :— 01. श्री मुकेश कुमार धाकड़ ....अधिवक्ता प्रार्थी।

02. पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :— 09.04.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सलावटिया, पटवार हल्का सलावटिया में आराजी संख्या 1249/171 रकबा 0—15 बीघा, आराजी संख्या 1671/171 रकवा 0—07 बीघा, कुल किता 2 रकबा 1—02 बीघा भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 20 फीट चौड़ा रास्ता बिलानाम गैर काबिल काश्त विपक्षी की आराजी संख्या 171 के दक्षिणी हिस्से के सहारे होता चाहा गया। उसके बाद प्रार्थी द्वारा दिनांक 05/03/2019 को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुर्व मे प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे चाहे गसे 20 फीट चौड़े रास्ते के बजाय संशोधन करा 12 फीट चौड़ा रास्ता ही विपक्षी की आराजी संख्या 171 के दक्षिण दिशा मे दिलाये जाने हेतु निवेदन किया एंव साथ ही निवेदन किया कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु व ट्रेक्टर बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी विपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में प्रार्थी आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2019/495 दिनांक 08.04.2019 में अंकित किया कि ग्राम सलावटियां की आराजी नम्बर 1249/171, 1671/171 कुल किता 2 रकबा 1—02 बीघा भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता आराजी नं0 171 की दक्षिणी हिस्से के सहारे होकर जाना बताया, आराजी नम्बर 171 का रकबा 12—05 बीघा होकर किस्म बिलानाम है उक्त आराजी नम्बर 171 के दक्षिणी हिस्से में 84 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा कुल 0—05 बीघा (336व0मी0) भूमि रास्ते के उपयोग में ली जाना एंव उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही होना अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

प्रकरण मे रास्ते हेतु मौका निरीक्षण व नजरी नक्शा मय डी.एल.सी. दर के सम्बंध मे रिपोर्ट भी तहसीलदार से चाही गई।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. 584280/– प्रति बीघा से भूमि की मालियत 146070/– रूपये का दुगुना से 292140/– राशि बनना अंकित किया है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी तहसीलदार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित रास्ता आराजी नं0 171 रकबा 12–05 बीघा किस्म बिलानाम बंजड के दक्षिणी हिस्से में 84 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा कुल 0–05 बीघा (336व0मी0) भूमि पर रास्ता दिया जाना भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं एंव प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर मौजूद नही होना अंकित किया हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं के खाते की भूमि ग्राम सलावटियां की आराजी नम्बर 1249/171, 1671/171 कुल किता 2 रकबा 1–02 बीघा भूमि पर पहुंचने के लिए ग्राम सलावटिया के आराजी नं0 171 रकबा 12–05 बीघा किस्म बिलानाम बंजड के दक्षिणी हिस्से में 84 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा कुल 0–05 बीघा (336व0मी0) भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. 584280/– प्रति बीघा से भूमि की मालियत 146070/– रूपये का दुगुना से 292140/– राशि बनती हैं। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 09.04.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner